न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र विजय (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 292/2016

बउनवान

धनराज पुत्र श्री जगन्नाथ जाति–जाटव निवासी–बारां तहसील–बारां जिला–बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. श्री महेशप्रकाश गौतम, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज0)

निर्णय दिनांक– 31.08.2021

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 28.7.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–सुसावन, तहसील–बारां की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 844 रकबा 0.12 हैक्टर किस्म–बारानी II पर ईट भट्टा लगा अकृषि कार्य करने के लिये सम्वत् 2071 में पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर, उक्त आराजी से बेदखल कर 2250/–रूपये अर्थदण्ड, ईट भट्टा जप्ती, नीलामी एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एंव पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व पत्रावली का अभिलेख रेकार्ड पर न होते हुये भी पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में विधिक त्रुटि की है। अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है ना हीं कोई साक्ष्य ली गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुनवाई का अवसर दिये एकरतफा साईक्लोस्टाईल परफोर्मा पर निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी का अतिक्रमण प्रमाणित नहीं है तथा उसके द्वारा शास्ति भी जमा करा दिया है। निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.7.2015 निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.26 11:05:03 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को किसी प्रकार को कोई नोटिस जारी नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रोपर तामील कराये अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बगैर विधि विरूद्ध तरीके से एकतरफा आदेश पारित किया है। अपीलांट का खाते की आराजी पर ईट भट्टा संचालन किया हुआ है जिसमें कुछ आराजी सरकारी आ रहीं थी, जिसे जानकारी होने पर उक्त आराजी से पूर्व से ईट भट्टा हटा लिया है। वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है, भूमि खाली पडी हुई है। अब अपीलांट को अपनी खातेदारी आराजी की चतुर्थ सीमा की जानकारी हो चुकी है इसलिये विवादित आराजी पर कभी भी स्वंय अथवा अन्य के माध्यम से उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध रहेगा। वैसे भी अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा आदेश पारित किया है। अपीलांट उक्त आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई साक्ष्य व दस्तावेजात् व बेदखलीनामा नहीं है। विधि का सिद्धान्त है कि यदि पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है तो घटनाबहीं, बेदखलीनामा, साक्ष्य, बयान व पूर्व निर्णय की प्रति पत्रावली शामिल करना अनिवार्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई दस्तावेजात नहीं है। विवादित आराजी से अपीलांट का अतिक्रमण हट चुका है। न्यायहित में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.7.2015 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर, सुनवाई व जवाबदेहीं का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट ने खाते व राजकीय भूमि पर बिना स्वीकृति के ईट भट्टा लगा कर अतिक्रमण किया हुआ है तथा अपीलांट को पूर्व में भी अतिक्रमण करने पर बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिकमी नहीं है तथा जानकारी होने पर उसने अतिक्रमण व ईट भट्टा हटा लिया है। इसके विपरीत पेरोकार सरकार का कथन रहा है कि अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिकमी रहा है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन व विवेचित तथ्यों पर मनन करने से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिया है।

हमने पटवारी हल्का से उक्त [illegible] स्थिति की रिपोर्ट चाही। प्राप्त रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने अंकित किया कि वर्तमान में [illegible] की आराजी खसरा नंबर 844 रकबा 0.20 है. किस्म बारानी ॥ राजेन्द्र कुमार [illegible] साकिन कोटा रोड़ बारां के नाम दर्ज है तथा मौके पर उक्त भूमि पड़त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.26 11:05:03 IST
Reason: SelfAttested

अतः ऐसी स्थिति में हम अभिभाषक अपीलांट के कथन से सहमत है कि मौके से ईंट भट्टा हटा लिया गया है। साथ ही अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिकमी सिद्ध करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पश्चात्वर्ती अतिकमी बाबत रेकार्ड को पत्रावली पर नहीं लिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजात् को पत्रावली में शामिल नहीं कर विधिक भूल की है।

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

चूंकि अपीलांट का कथन है कि उसने उक्त आराजी से ईट भट्टा हटा लिया है तथा भविष्य में कभी अतिचार नहीं करेगा।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 13/2015 में पारित आदेश दिनांक 28.7.2015 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है तथा बेदखली, जप्ती एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.26 11:05:03 IST
Reason: SelfAttested